प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2021**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-448/अधि0नि0(वित्त)/निधि-।।/ आय-व्ययक/2020-21/394 टी0सी0, दिनांक 15 मार्च, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के लिए अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक-2801-बिजली- 05-संचरण एवं वितरण- 800- अन्य व्यय- 18-पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले अतिरिक्त ऋण की ब्याज सहित अदायगी- 20- सहायता अनुदान- सामान्य -(गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 77,91,96,000/- (रूपये सतहत्तर करोड़ इक्यांनवे लाख छियांनवे हजार मात्र) में से बचत हो रही धनराशि रूपये 8,53,83,000/- (रूपये आठ करोड़ तिरपन लाख तिरासी हजार मात्र), लेखाशीर्षक-2801-बिजली- 05-संचरण एवं वितरण- 800-अन्य व्यय- 20-वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले अतिरिक्त ऋण की ब्याज सहित अदायगी-20-सहायता अनुदान- सामान्य -(गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 100,16,41,000/- (रूपये एक सौ करोड़ सोलह लाख इकतालिस हजार मात्र) में से बचत हो रही धनराशि रूपये 7,81,31,000/- (रूपये सात करोड़ इक्यासी लाख इकत्तीस हजार मात्र) एवं लेखाशीर्षक-2801-बिजली- 05-संचरण एवं वितरण- 800-अन्य व्यय- 21-विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रूपये 1,00,00,000/- (रूपये एक करोड़ मात्र) अर्थात कुल बचत हो रही धनराशि रूपये 17,35,14,000/- (रूपये सत्रह करोड़ पैंतीस लाख चौदह हजार मात्र) को संलग्नक बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अनुदान सं0-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के लिए स्वीकृत कर आहरित कर व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है, उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। उ0प्र0 पावर कारपोरेश इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(4) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्ति हेतु निदेशक (वित्त) उत्तरदायी होंगें।

(5) किसी प्रकार की वित्तीय अनियमित्ता का उत्तरदायित्व निदेशक (वित्त) का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 द्वारा जारी दिशा-निदेशों का पूर्णतया अनुपालन निदेशक (वित्त) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग/ समाज कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800 - अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-93/दस-2021, दिनांक 30 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-42/2021/724(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।

3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 11001।

4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in